

अपील क्रमांक /2016
अपीलार्थी

पत्रकार भवन समिति पंजीयन क्रमांक
1638/1970 मालवीय नगर भोपाल द्वारा
महेश कुमार सिंह आयु 6.0 वर्ष आत्मज
स्व. श्री रंजीत सिंह निवासी 72 प्रेस
काम्पलेक्स नियर देशबन्धु प्रेस एम.पी.
नगर भोपाल (म.प्र.)

140

प्रतिअपीलार्थीगण

ए.ए. सुब्बेय्य शीवालय अर्थात्
द्वारा आयु 10/8/16
प्रदत्त

8/8/16

अधीक्षक
कार्यालय कमिश्नर
भोपाल संभाग, भोपाल

विरुद्ध

- 1- अपर आयुक्त, आयुक्त कार्यालय भोपाल
संभाग भोपाल (म.प्र.)
- 2- म.प्र. शासन, द्वारा बाजूल अधिकारी
राजधानी परियोजना टी.टी. नगर भोपाल
(म.प्र.)
- 3- जिला कलेक्टर, कलेक्टर कार्यालय पुखा
सचिवालय भोपाल जिला भोपाल (म.प्र.)
- 4- एस.के. मिश्रा आयुक्त जन संपर्क बाणगंगा
मार्ग प्रशासनिक क्षेत्र जनसंपर्क भवन
भोपाल (म.प्र.)
- 5- अवधेश भार्गव, वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन
पत्रकार भवन मालवीय नगर भोपाल (म.प्र.)
- 6- एन.पी. अग्रवाल, अधीक्ष पत्रकार भवन
समिति निवासी एम/2 संत आशाराम नगर
वैष्णव परिसर बाग सेवनिया भोपाल (म.प्र.)

रिवीजन अंतर्गत धारा 50() भू-राजस्व संहिता के अंतर्गत ।

अधिनस्थ अपर आयुक्त भोपाल संभाग भोपाल के माननीय एस.के.
डहेरिया के द्वारा अपील प्रकरण क्रमांक 386/14-25 दिनांक 25.4.2016
को पारित किये गये निर्णय की प्रति दिनांक 19.6.2016 को प्राप्त हुई से
दुखित होकर यह रिवीजन माननीय न्यायालय के समक्ष निम्न तथ्य एवं आधारों
पर प्रस्तुत है।

8

अधीक्षक

112

5

पु.स.का. 2 नवम्बर 8 मूलमाप्ट
R2875 P/2016 नो.का.द

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभावकों आदि के हस्ताक्षर
2.9.2016	<p>आवेदक की ओर ले श्री मुकेश प्रियासुख आयोगावक उपाह्विता उनके विवेदन का स्वयं दिया जात है।</p> <p>2/ प्रमाण ग्राह्यता का तर्क हेतु।</p> <p>C.D. 26.10.2016</p>	<p><i>[Signature]</i> 29/10 04/26/10/16</p>
26.10.2016	<p>आवेदक की ओर ले युवना उपदोत्र कोई भी उपाह्वित नहीं।</p> <p>आवेदक क्रमांक 5 अवधेश गार्गी एवं आवेदक क्रमांक 6 की एनपीठ ब्रजवाय स्वयं उपाह्वित। तीन कार पुकार लजवाई गई, किंतु भी कोई उपाह्वित नहीं। अतः प्रमाण अदम परकी में खालि किया जात है।</p>	<p><i>[Signature]</i> 26/10/16</p>
<p>218-12 नम्बर</p> <p><i>[Signature]</i></p>	<p>आवेदक क्रमांक 5, नि. 15170 नवम्बर 2016</p> <p>आवेदक क्रमांक 6, नि. 15170 नवम्बर 2016</p> <p>21-10-2016</p>	<p>218-12 नम्बर</p>